पत्रांक 66/60–2–15–2/3(27)/05टी.सी.

प्रेषक,

मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।
2. समस्त मुख्य विकास अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

महिला एवं बाल विकास अनुभाग–2 लखनऊ दिनांक 12 जनवरी, 2015

विषयः– जिलास्तरीय पोषण समिति का गठन।

महोदय,

राज्य पोषण मिशन के कार्यों के नियोजन, क्रियान्वयन, निगरानी एवं अनुश्रवण के लिए जिला स्तरीय समिति का निम्नानुसार गठन किया जाता है:–

जिला पोषण समिति

क्रम	पद	पदनाम
1	2	3
1	जिलाधिकारी	अध्यक्ष
2	मुख्य विकास अधिकारी	उपाध्यक्ष
3	जिला कार्यक्रम अधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधिकारी*	सदस्य सचिव
4	जिला कार्यक्रम अधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधिकारी (नामित के अतिरिक्त)	सदस्य
5	मुख्य चिकित्सा अधीक्षक	सदस्य
6	बेसिक शिक्षा अधिकारी	सदस्य
7	जिला पंचायती राज अधिकारी	सदस्य
8	अधिशासी अभियन्ता (नगर निगम)/नगर पालिका परिषद्/टाउन एरिया	सदस्य
9	अधिशासी अभियन्ता, जल निगम	सदस्य
10	जिला सूचना अधिकारी	सदस्य
11	जिला विद्यालय निरीक्षक	सदस्य
12	नामित उपजिलाधिकारी/जिला पूर्ति अधिकारी	सदस्य
13	यूनिसेफ, बीएमजीएफ एवं अन्य सहयोगी विभाग	सदस्य

* क्रमांक–3 पर सदस्य सचिव का चयन जिलाधिकारी द्वारा किया जायेगा।

उक्त समिति के कार्य को सुचारू रूप से चलाने/अभिलेख रखने आदि हेतु सभी जनपदों के मुख्य विकास अधिकारी कार्यालय के दो कर्मचारी जिलाधिकारी द्वारा नामित किए जायेगें। यह कर्मचारी अपने नियमित कार्यों के साथ राज्य पोषण मिशन के कार्यों में भी सक्रिय सहयोग प्रदान करेगें।

राज्य पोषण मिशन के कार्यो का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने के लिये जिला पोषण समिति प्रतिमाह एक बैठक सम्पन्न करेगी तथा बैठक का कार्यवृत्त महानिदेशक राज्य पोषण मिशन को अनिवार्य रूप से भेजा जायेगा।

भवदीय

आलोक रंजन
मुख्य सचिव।

पत्रांकः 66(1)/60–2–15, तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, उत्तर प्रदेश, शासन।
2. महानिदेशक, राज्य पोषण मिशन, उत्तर प्रदेश।
3. मिशन निदेशक, एन0आर0एच0एम0, उ0प्र0।
4. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
5. निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,

(सदाकान्त)
प्रमुख सचिव।